बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / 02–राज्य यो0वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा–36 / 2022 2360 **पटना, दिनांकः**– 21/03/2023

आदेश

समाहर्त्ता, शेखपुरा के ज्ञापांक 948 दिनांक 05.11.2022 द्वारा श्रीमती पुजा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01037) के विरूद्ध अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने, खानापुरी कार्य 189 दिनों के पश्चात् भी पूर्ण नहीं करने, सरकारी भूमि के साथ छेड़–छाड़ करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अग्रतर कार्रवाई की अनुशंसा के साथ निदेशालय को सेवा वापस की गयी है।

इसके साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 984 दिनांक 15.11.20 द्वारा श्रीमती पुजा के विरूद्ध श्री अरूण कुमार सिन्हा, ब्यूरो चीफ (BNP) के माध्यम से शिविर के कर्मियों को धमकी देने तथा मारपीट कर परेशान करने के साथ–साथ कार्य संतोषजनक नहीं रहने एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

इसी बीच आरोपित द्वारा निदेशालय सेवा वापस करने पश्चात् निदेशालय मुख्यालय में योगदान न देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से मुक्त करने संबंधी आवेदन समर्पित किया गया। आरोपित द्वारा समर्पित आवेदन पर बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा का मंतव्य प्राप्त किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके द्वारा आरोपित सख्त कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

इसी क्रम में आरोपित द्वारा निदेशालय मुख्यालय में दिनांक 24.01.2023 को अपना योगदान समर्पित किया गया है। योगदान आवेदन में आरोपित द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है एवं जिला स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपित द्वारा समर्पित आवेदन का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत यह पाया गया है कि आरोपित लगाए गए आरोपों के संबंध में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए वरीय पदाधिकारियों के यथा निदेशित कार्य करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा जिला स्थानान्तरण करने का अनुरोध भी किया गया है।

अतः आरोपित द्वारा किए गए क्षमा याचना एवं दिए गए आश्वासन तथा संस्कृति में सुधार लाने के उद्देश्य से तत्काल 04 माह के मानदेय की कटौती करते हुए इन्हें बंदोबस्त कार्यालय, पं0चम्पारण(बेतिया) में पदस्थापन किया जाता है।

साथ ही भविष्य में इनके विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित होने की स्थिति में इनके संविदा नियोजन समाप्ति पर निर्णय लिया जाएगा।

21/3/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा–36 / 2022 2360 **पटना, दिनांक** :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती पुजा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01037), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

पत्र-1

ज्ञापांक :– 03/02–राज्य यो0वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा–36/2022 2360 **पटना, दिनांक** :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा एवं पं0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02–राज्य यो0वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा–36/2022 2360 **पटना, दिनांक** :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/3/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप